प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **27-05-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-दहेज के प्रताड़ित करने व दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेर—

अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2025 को वादी निवासी थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने व जेठ द्वारा वादीनी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-72/2025 धारा-85/115(2)/352/64 बीएनएस 2023 व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा आरोपी जेठ-मौहम्मद जुनैद पुत्र गौहर अली निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

मौहम्मद जुनैद पुत्र गौहर अली निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-72/2025 धारा-85/115(2)/352/64 बीएनएस 2023 व 3/4 दहेज अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 अनिल कुमार,
हे0का0 कपिल तोमर,
का0 रवि कुमार

2-थाना डिलारी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 बाल अपचारी को हिरासत में लेकर माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना डिलारी पुलिस द्वारा चैकिगं के दौरान 01 बाल अपचारी को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ हिरासत में लेकर माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस सम्बन्ध में थाना डिलारी पर मु0अ0सं0-105/25 धारा-9/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3-थाना छजलैट पुलिस द्वारा, दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2025 को वादी निवासी थाना छजलैट क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना छजलैट पर मु0अ0सं0-98/2025 धारा-331(6)/351(2)/115(2)/70(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना छजलैट पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन पुत्र लेखराज निवासी ग्राम ढकेड़ा पूर्वी थाना छजलैट, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर भेजा गया। आज दिनांक 27.05.2025 को थाना छजलैट पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम जोगिया सिहाली थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

सचिन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम जोगिया सिहाली थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-98/2025 धारा-331(6)/351(2)/115(2)/70(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री उचित कुमार थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

2-का0 अंकित तोमर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

3-का0 सोनू कुमार थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

4-थाना बिलारी पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बिलारी पुलिस द्वारा वारन्टी ननूकी पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सनाई थाना बिलारी जिला मुरादाबाद सम्बन्धित मु0नं0-753/07 धारा 504/506 भादवि को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 21 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 21 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना कटघर-02, थाना कटघर-06, थाना मझोला-02, थाना छजलैट-01, थाना भगतपुर-03, थाना भोजपुर-01, थाना डिलारी-03, थाना बिलारी-02, थाना मैनाठेर-01

6-थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा, सोने के कैप्सूल की तस्करी में संलिप्त 01 अभियुक्त (फाईनेंसर), 01 फर्जी आधार कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2025 को वादी श्री जुल्फकार अली पुत्र अब्दुल कदीर निवासी मौहल्ला नज्जूपुरा कस्बा व थाना टाण्डा जनपद-रामपुर की तहरीर के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0-201/2025 धारा-126 (2) / 140(1) बीएनएस बनाम अभि०गण 05-06 नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अपर्हत 1-जाहिद अली पुत्र रिजवान मिया निवासी मौ० भब्बलपुरी कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर 2-जुल्फेकार पुत्र अजीमुद्दीन निवासी ग्राम सैडू का मझरा कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर 3-मौ० नावेद पुत्र नवाज अली निवासी मौ० टंडोला कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर 4-मुत्तलीब पुत्र मौ० सुलेमान 5-अजरूद्दीन पुत्र मौ० फारूख 6-शाने आलम पुत्र सगीर अहमद कदीर निवासीगण कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर को बरामद किया गया। उपरोक्त अभियक्तगण जुल्फेकार व शाने आलम व अजरूद्दीन व मुत्तलिब उपरोक्त से 27 कैप्सूल (पीली धातु) वजन करीब 01 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। जिसके सम्बंध में थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0-207/25 धारा-111/318(4)/338/336(3)/340 बीएनएस व 135 कस्टम एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण जुल्फेकार व शाने आलम व अजरूद्दीन व मुत्तलिब उपरोक्त को जिला कारागार में निरूद्ध कराया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 01 और अभियुक्त जाहिद मेंबर पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला हाजीपुरा कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर को मय एक फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाहिद मेंबर पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला हाजीपुरा कस्ब व थाना टाण्डा जनपद रामपुर उम्र करीब 44 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सोने की तस्करी करने के लिये शाने आलम व मुत्तलीब व अजरूद्दीन व जुल्फेकार को 100-100 ग्राम सोना लाने के लिये रूपये दिये थे। प्रति 100 ग्राम पर 30 हजार रूपये बचते है दिनांक 21.05.2025 को जुल्फेकार व शाने आलम व अजरूद्दीन व मुत्तलीब ये लोग दुबई से करीब 01 किलो सोने के

कैप्सूल को पानी के साथ गटककर तस्करी लेकर एटिका कार से टाण्डा रामपुर आ रहे थे कि पुराना टोल पर बदमाशों ने हमारे साथियो को किडनेप कर लिया था। जिसके बाद हमारे साथी जुल्फेकार द्वारा फोन से 112 पुलिस को सूचना दी गयी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा हम लोगो को बचा लिया गया था तथा गटके गये सोने के कैप्सूल घर जाकर हम लोग खाना खाने के बाद दो-तीन दिन के अन्दर मल के साथ बाहर निकाल लेते है और सोने के कैप्सूल को हम लोग धुलकर रख लेते है तथा सभी के हिस्से बाट दिये जाते हैं। जब कभी सोने के कैपसूल निकले में दिक्कत होती है तो झोलाछाप डाक्टर इरफान पुत्र नामालूम निवासी नगर पालिका के पीछे क्लीनिक थाना टाण्डा जनपद रामपुर से मदद लेकर सोने के कैप्सूल निकलवा लेते है। साहब हम इन लोगो के साथ मिलकर सोने की तस्करी काफी दिनो से कर रहे है। इस सोने की तस्करी के लिये फाईनेंसर रूपये उपलब्ध कराते हैं, संगठित होकर जिसमें मेरे जैसे फाईनेंसर व डाक्टर जो मैने नाम अभी बताया है सम्मलित हैं। हमारे संगठित गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध रास्ता चुनकर दुबई से सोने की तस्करी की जाती है जिससे हमारे गिरोह के सदस्यो को आर्थिक व अन्य लाभ प्राप्त होते है जिससे हमारी पिछले वर्षों में काफी कमाई हुयी है तथा हम लोग अपने साथ फर्जी आधार कार्ड रखते है, अगर कभी फसते हैं तो फर्जी आधार कार्ड दिखाकर बच जाते हैं।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबादा
2-30नि0 मदन कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
3-उ0नि0 गौरव कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबादा
4-हे0का0 राहुल मलिक थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबादा
5-का0 संजीत मलिक थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।